राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.4(78)कृषि/ग्रुप–2/2002/पार्ट जयपुर, दिनांकः 25 SEP 2019

आदेश

"राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 के दिशा–निर्देश 2013–14" के निरन्तरता में बिन्दु संख्या 02 में उल्लेखित परिस्थितियों में निम्नांकित अतिरिक्त परिस्थितियों को भी शामिल किया जाता हैः–

(i) खेत मे फसलो की सिंचाई करते समय पानी में प्रवाहित विद्युत करंट से मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर।

(ii) खेत पर कृषि व कृषि से जुडे कार्य करते समय वन्य/पालतु/आवारा जानवर के काटने एवं हमला करने से हुयी मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर।

(iii) खेत में कृषि व कृषि से जुडे कार्य करते समय गौह/मधुमक्खी/बिच्छु एवं अन्य जहरीले जानवर/कीट आदि के काटने से हुयी मृत्यु एवं अंगभंग होने पर।

(iv) फसल बुवाई हेतु खेत की तैयारी (खेत समतलीकरण, झाड़–झंकाड़ की कटाई, छंगाई) करते समय हुयी दुर्घटना में अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(v) खेत में सिंचाई एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य करते समय, खेत में निर्मित डिग्गी/फार्म पोण्ड/टांके/कुऐं एवं अन्य जल भराव की संरचनाओं मे फिसलकर गिरने अथवा पानी निकासी करते समय गिरकर हुये अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(vi) खेत की मेडबंदी करते समय हुयी दुर्घटना में अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(vii) खेत में फसल को काट कर इकट्ठी करते समय अथवा फसल में से अनाज निकालते समय हुयी दुर्घटना में अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(viii) खेत में कृषि कार्य करते समय चक्रवाति तूफान अथवा बारिश के समय पेड़ के नीचे दबने से हुयी मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर।

(ix) राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 के बिन्दु सं. 2 में क्रम संख्या 9 में "काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर" उल्लेखित है। इस बिन्दु में मोटर साइकिल अथवा अन्य कोई भी वाहन भी सम्मिलित होगें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(लाल चन्द गुर्जर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
8. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकःप.1(140)निकृवि/रागांकृसासयों/ 31254-418 दिनांकः 27-9-19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
4. कम्प्यूटर शाखा, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को लेख है कि उपरोक्त नवीन शामिल बिन्दुओ को वेबसाइड पर अपलोड करावें।

(करण सिंह)
संयुक्त निदेशक–II
कृषि विपणन